राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर झालावाड़

क्रमाक /सहा./2021/ 1610 दिनांक 08/07/2021

**श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,**
**आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग**
**राजस्थान जयपुर**

विषयः–जिले में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु वर्ष 2019–20 के कार्यो का भुगतान किये जाने के लिए बजट मांग के संबध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के पत्र क्रमांक एफ 8(21) आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव /बाढ/19/9461–64 दिनांक 08.11.2019 से प्राप्त स्वीकृति के कम में इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 1526–27 दिनांक 18.11.2019 के अनुसरण में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत झालावाड के पत्र कमांक 2251 दिनांक 04.12.2019 से प्राप्त तकनीकी तखमीनें के आधार पर श्रीमान द्वारा कुल 38 कार्यो हेतु राशि 92.66 लाख रू. तत्कालिक मरम्मत हेतु बजट प्राप्त हुआ था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 अधीक्षण अभियंता जल संसाधान झालावाड द्वारा कार्य के बिल प्रस्तुत नही करने से बजट लेप्स हो गया था, तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग द्वारा 37 कार्यो पर व्यय राशि 69.79695 लाख रू. के बिल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें से 9 कार्यो पर व्यय राशि 21.58687 लाख रू. के बिल का भुगतान किया गया एवं 28 कार्यो पर व्यय राशि 48.21008 लाख रू. के बिल आक्षेप पूर्ति के अभाव में भुगतान से बकाया रहे। आपदा प्रबधंन विभाग के नोर्म्स में बिन्दु संख्या 17 के अनुसार बिल नही होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में भुगतान नही किया जा सका ।

आक्षेप पूर्ति के पश्चात् प्राप्त उक्त बिल राशि 48.21008 लाख रू. में से राशि 1.37696 लाख रू. के बिल जांच के पश्चात भुगतान से अमान्य किये गये है, इस प्रकार 28 कार्यों पर व्यय राशि के लंबित बिलों के भुगतान हेतु कुल राशि 46.84 लाख रू. बजट की आवश्यकता है। अतः वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राशि 46.84 लाख रू. का बजट आवंटन करने की व्यवस्था फरमावें, ताकि लम्बित बिलों का भुगतान किया जा सके।

भवदीय

(हरिमोहन मीना)
जिला कलक्टर
o/c झालावाड

क्रमाक/सहायता/2021/ 1610 दिनांक 08/07/2021
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।

जिला कलक्टर
o/c झालावाड

# राजस्थान सरकार
## कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646
व्हाट्सएप्प हैल्पलाईन :– 9887320044

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमाक एफ 16( )/13/आ.मो.नि./सहा./2020/ 49 दिनांक 23 /01/2020

**–: वित्तीय स्वीकृति :–**

सहायक शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(21)आ.प्रएवं.सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2019/9461–64 दिनांक 08.11.2019 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 1526–27 दिनांक 18.11.2019 के अनुसरण में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग वृत्त झालावाड़ के पत्र क्रमांक 2251 दिनांक 04.12.2019 से प्राप्त तकनीकी तखमीने के आधार पर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त बजट के अनुसार कुल 38 कार्यो हेतु राशि 92.66 लाख रूपये की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) से वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
3. बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. यह सुनिश्चित कर लेवें कि प्रस्तावित नहरें/बांध/एनिकट का उपयोग सिचाईं/पेयजल कार्यो एवंज न सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
6. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. कार्य को प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. बजट ऑन–लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जावें।
10. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
11. प्रस्ताव में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
12. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से स्वीकृत कार्यो का तखमीना तैयार कर यथाशीघ्र आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त ही सहायता विभाग से बजट मांग की जा सकेगी।
13. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
14. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।

जिला कलक्टर
झालावाड

बेटी को मत समझो भार,जीवन का है यह आधार।
लड़का–लड़की एक समान, यही संकल्प यही अभियान।

जगमग झालावाड़

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646
व्हाट्सएप्प हैल्पलाईन :– 9887320044

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमाक एफ 16( )/13/आ.मो.नि./सहा./2019/50 दिनांक 23/01/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. सहायक शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.8(21)आ.प्र.एव.सहा./प्रस्ताव/बाढ /19/9461–64 दिनांक 08.11.2019 के क्रम में।
4. वित्तिय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग झालावाड़।
6. अधीक्षण अभियंता सा0नि0 विभाग झालावाड़।
7. कोषाधिकारी कोष कार्यालय झालावाड़।
8. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
9. अधिशासी अधिकारी जल संसाधन विभाग खण्ड समस्त.............
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
झालावाड

बेटी को मत समझो भार,जीवन का है यह आधार।
लड़का–लड़की एक समान, यही संकल्प यही अभियान।

जगमग झालावाड़

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।